

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

<p>18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "खु" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकृति टिप्पणियों पर विशेष टिप्पणी की जाएं)</p>	<p>18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रक्का 80.902 है. वन/राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेर्स्टर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्तों पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप दाइडक वृक्षारोपण एवं एन.पी.व्ही. की शर्त अधिरोपित की जाय।
---	--

दिनांक: ०५/११/२०

स्थान: भोपाल

(कैटन अनिल कुमार खरे)
मध्यप्रदेश सरकार, वन विभाग

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)